

बिहार सरकार
समाज कल्याण विभाग

--: शुद्धि पत्र :-

समाज कल्याण विभाग के स्वीकृत्यादेश संख्या-18 दिनांक 08.04.2019 द्वारा मुख्यमंत्री सामाजिक सहायता एवं प्रोत्साहन छत्र योजना के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2019-20 में पेंशन योजनाओं के विभिन्न अवयवों एवं अन्य योजनाओं के लिए व्यय की स्वीकृति प्रदान की गयी है। उक्त स्वीकृत्यादेश के राज्य योजना की कंडिका 8, 9 एवं 10 में विशेष घटक के स्थान पर जनजातीय उप योजना अंकित है। जबकि बजट विशेष घटक योजना में प्रावधानित है।

अतः राज्य योजना की कंडिका 8, 9 एवं 10 में उल्लिखित जनजातीय उप योजना के स्थान पर विशेष घटक पढ़ा जाय।

2. शेष यथावत रहेगा।

ह०/-

(विजय रंजन)

संयुक्त निदेशक (मु०),

समाज कल्याण विभाग।

जापांक-3/यो0-26/2017(खंड)

दिनांक-

प्रतिलिपि -महालेखाकार (लेखा परीक्षा) बिहार, पटना/सचिव, योजना एवं विकास विभाग/प्रधान सचिव, वित्त विभाग (बजट शाखा)/ समाज कल्याण विभाग (बजट शाखा)/निदेशक, सामाजिक सुरक्षा निदेशालय, निदेशक, समाज कल्याण निदेशालय, निदेशक, आई०सी०डी०एस० निदेशालय, बिहार, पटना/सभी प्रमंडलीय आयुक्त/सभी जिला पदाधिकारी, निदेशक, दिव्यांगजन सशक्तिकरण निदेशालय/निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, सामाजिक सुरक्षा निदेशालय, बिहार, पटना/मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी/वरीय प्रशासी पदाधिकारी, सक्षम, अपना घर, बेली रोड, पटना/सभी सहायक निदेशक/प्रभारी सहायक निदेशक, जिला सामाजिक सुरक्षा कोषांग, बिहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

ह०/-

संयुक्त निदेशक (मु०)

जापांक- 3/यो0-26/2017(खंड)

दिनांक-

प्रतिलिपि -कोषागार पदाधिकारी, सचिवालय कोषागार, विकास भवन/ कोषागार पदाधिकारी, सचिवालय कोषागार, सिंचाई भवन/कोषागार पदाधिकारी, विश्वेश्वरैया भवन पटना/सभी जिला कोषागार पदाधिकारी/सभी उप कोषागार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

ह०/-

संयुक्त निदेशक (मु०)

जापांक- 3/यो0-26/2017(खंड)

35

दिनांक-

24.6.19

प्रतिलिपि -विभागीय आई०टी० मैनेजर को सूचनार्थ एवं निदेश दिया जाता है कि उक्त शुद्धि पत्र को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करना सुनिश्चित करें।

24/6

संयुक्त निदेशक (मु०)